नियमों के तहत विभाग करे मामलों की सुनवाई : सचिव

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सरकारी सेवकों पर होने वाली विभागीय कार्रवाई की गति तेज करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने पत्र लिखा है। प्रधान सचिव ने सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत कार्रवाई का निष्पादन करने को कहा है।

पत्र के अनुसार, अधिकांश बार आरोप लगाने का कोई तार्किक आधार, नियमावली की धारा एवं कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि जांच रिपोर्ट या प्रतिवेदन में आरोप साबित नहीं होने के बावजूद भी जांच अधिकारी बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 की धारा-18 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं करके अपनी इच्छा से आदेश जारी कर देते हैं। इस वजह से ऐसे आदेशों को बाद में हाई कोर्ट निरस्त कर देता है। इससे सरकारी सेवकों को बिना कार्य के वेतन एवं बकाए वेतन का भुगतान करना पड़ता है और सरकार को आर्थिक हानि होती है।

इन बातों का रखें खास ध्यान

पत्र में तमाम मामलों का निष्पादन नैसर्गिक तरीके से करने को कहा गया है। आवेदनों का निष्पादन उपर्युक्त पदाधिकारी से करवाए जाएं और तमाम आदेश नियमावली के अनुसार ही होने चाहिए। अपीलीय प्राधिकार किसी मामले को सिर्फ तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं करें, बल्कि मामले के 'मेरिट' को भी आदार बनाना चाहिए। पारित आदेश उचित तरीके से लिखे और मुखर होने चाहिए। इसमें अलीली प्राधिकार के निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखा हो।